

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14015/12/2009-अ.भा.से.-1-ख

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)


नई दिल्ली; 25 मार्च, 2011

### अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिचीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से चयन सूची 2008-क के लिए उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शक्तियों पर केरल राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश तक परिचीक्षा पर, नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत उन्हें केरल कैडर में आवंटित करते हैं।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)
1.	के. राम चन्द्रन (अ.जा.)
2.	श्रीमती सी. ए. लाठा (अ.जा.)
3.*	श्रीमती के. एस. सरम्मा (अ.ज.जा.)

\* यद्यपि ये अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं परन्तु श्रीमती के. एस. सरम्मा द्वारा भारत संघ और अन्य के विरुद्ध दायर की गई ओ. ए. सं. 153/2011 तथा ओ. ए. के परिणाम के अध्यक्षीन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, एर्नाकुलम न्यायपीठ के दिनांक 1 मार्च 2011 के अन्तरिम आदेश का अनुसरण करते हुए नियुक्त किया गया है।

  
(एस.एस.शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्राणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)